कार्यालयः—अंचल अधिकारी, सिमरिया।

वाद सं0—28/2023—24

दिनेश्वर गंझु, पिता—स्व0 बंधन गंझु, ग्राम—उरूब।
बनाम
रामेश्वर साहु वगैरह ग्राम—तपसा ।

—ःआदेशः—

क्रम और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित
1	2	3
	प्रस्तुत वाद की कारवाई आवेदक श्री दिनेश्वर गंझु, पिता—स्व0 बंधन गंझु, मौजा—उरूब थाना—सिमरिया, जिला—चतरा से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में प्रारम्भ की गई है। आवेदक ने सिमरिया थाना अन्तर्गत ग्राम—उरूब के खाता सं0—26 प्लॉट सं0—23,40 एवं अन्य (यथा आवेदन में वर्णित) कुल रकवा—4.40 ए0 सर्वे खतियानी भूमि को रामेश्वर साहु वगै0 द्वारा अपने सम्मिलात जमावंदी के पंजी—II में खाता—26 दर्ज करा कर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदन के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में शिवनाथ गझु वो रामनाथ गंझु पिता—पच्चु गझु के नाम दर्ज है। भूमि पर जमावन्दी रैयत के वारिसान को लम्बी अवधि से दखल कब्जा है। मामले की अग्रेतर कार्यवाही एवं दोनां पक्षों को अपना दावा प्रमाणित करने हेतु नोटिस निर्गत की गई। ततनुसार उभय पक्ष उपस्थित हुए। आवेदक **प्रथम** पक्ष की ओर से दिनेश्वर गंझु उपस्थित हो कर बताए की परदादा शिवनाथ गंझु वो रामनाथ गझु के नाम से सर्वे खतियान दर्ज है। सम्पूर्ण भूमि पर हमलोगों का दखल कब्जा है एवं घर—मकान बना कर निवास कर रहे हैं। प्रथम पक्ष द्वारा सर्वे खतियान का छायाप्रति, लगान रसीद एवं पंजी—II की छायाप्रति के आधार पर अपना दावा पेश किया गया है, एवं बतलाया गया की हमारे रैयती भूमि को द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा फर्जी हुकुमनामा बनाकर अपने अन्य खाते की जमाबंदी में मेरा खाता सं0—26 दर्ज करवा लिया है। **द्वितीय पक्ष** की ओर से प्रतिपक्षी होरील साहु, सुरेश प्रसाद उपस्थित हुवे शिवकुमार तिवारी कभी भी उपस्थित नही हुवे हारील साहु वगै0 उपस्थित होकर प्रश्नगत भूमि से संबंधित राजा रामगढ़ भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा निर्गत सादा हुकमनामा, जमीन्दारी रसीद, सरकारी लगान रसीद, विक्रय पत्र एवं पजी—II की ऑफलाईन प्रति दाखिल किया गया है एवं बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि महथा मथुरा प्रसाद को राजा रामगढ द्वारा हुकुमनामा से प्राप्त था। उक्त हुकुमनामा के आधार पर हमलोग सोलह रूपया के स्टाम्प पेपर पर क्रय किये हैं। उक्त आधार पर हमलोगों की जमाबंदी कायम है। **दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातों एवं राजस्व उपनिरीक्षक जॉच प्रतिवेदन** के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष की खतियानी रैयती खाते की भूमि मौजा—उरूब के खाता सं0—26 प्लॉट सं0—23, 40 एवं अन्य रकवा—4.40 ए0 भूमि भूतपूर्व राजा रामगढ द्वारा वर्ष—1930—31 में प्रश्नगत भूमि की हुकुमनामा	

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

रसोद महथा मथुरा प्रसाद के नाम से दिखाया गया है। मथुरा बिना जमाबंदी के ही इसी भूमि की बिक्री कौशल्या कुंवरी पति– मथुरा प्रसाद द्वारा शिवकुमार तिवारी एवं रामेश्वर साहु एवं गोवर्धन साहु (द्वितीय पक्ष) के नाम से वर्ष 1955 ई0 में सोलह रूपया स्टाम्प पर कर दी गई है, जैसा की स्टाम्प पेपर देखने से संदेहात्मक प्रतीत होता है, एवं पंजी–II की ऑफलाईन प्रति से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा अपने–अपने सम्मिलात जमाबंदी में अन्य खाता के साथ खाता सं0–26 दर्ज करवा लिया गया है। ऑफलाईन पंजी–II के अनुसार गोवर्धन साहु एवं टेको साहु की जमाबन्दी 1984 में दर्ज हुई है, जो स्वतः संदेहास्पद प्रतीत होता है। उक्त कारण वश दाखिल किया गया बिना मुहरांकन के हुकुमनामा एवं सोलह रूपया के स्टाम्प पेपर पर बिक्री की प्रमाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। दूसरी ओर द्वितीय पक्षों के द्वारा ऐसा कोई अपनी साक्ष्य पेश नहीं किया गया की एक अनुसूचित जनजाति(गंझु) की रैयती भूमि को संक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति से कब और किस आदेश से महथा गथुरा प्रसाद को दे दी गई है।

द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित हुकुमनामा में मुहरांकन नही है। सर्वे खतियानी भूमि का रैयत द्वारा लगान नही देने पर भूमि निलाम होने से संबंधित कागजात समर्पित नही किया गया है। केवाला रजिस्टर्ड नही है। दाखिल खारीज परिवर्तन प्राधिकार पंजी–II में दाखिल खारीज जिक्र नही है। इस कार्यालय पत्रांक–126, दिनांक–14.03.2023 द्वारा रामेश्वर साहु पिता–गणेश साव, शिवकुमार तिवारी, पिता–देवनारायण तिवारी, गोवर्धन साहु एवं टेको साव को नोटिस किया गया परन्तु शिवकुमार तिवारी कभी भी उपस्थित नही हुवे और नही प्रश्नगत भूमि हासिल किये जाने से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नही किये।

स्पष्ट है कि एक अनुसूचित जनजाति (गंझु) समुदाय की रैयती भूमि को गलत एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने पूर्व जमाबंदी के खाता सं0–22,25 में कायम जामाबंदी के पंजी–II में खाता सं0–26 दर्ज करा लिया गया है। उक्त आधार पर प्रश्नगत भूमि रकवा–4.40 ए0 भूमि की कायम जमाबन्दी पूर्णत: निराधार एवं संदेहात्मक प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों, राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर खाता सं0–26 प्लॉट सं0–23,40 एवं अन्य कुल रकवा–4.40 ए0 भूमि ऑफलाईन पंजी–II के पृष्ट सं0–41/1 पर टेको साहु पंजी–II के पृष्ठ सं0–42/1 पर गोवर्धन साहु, के नाम से कायम जमाबन्दी से खाता–26 को विलोपित करने की अनुशंसा की जाती है।

मूल अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

4/03/24

अंचल अधिकारी
सिमरिया।

4/03/24

अंचल अधिकारी
सिमरिया।

Digitally signed by GOURAV KUMAR ROY
Date: 2025.02.10 20:47:29 +05:30
Location: 192.168.224.52

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner